शासकीय नवीन महाविद्यालय सोनहत

जिला- कोरिया (छ.ग.)-497339

प्रवेश विवरणिका

2021-22

Visit us at- www.govtnaveencollegesonhat.edu.in

E mail id- gncollegesonhat@gmail.com

महाविद्यालय प्रवेश विवरणिका

सत्र 2021-22

शासकीय नवीन महाविद्यालय सोनहत

जिला- कोरिया (छ.ग.)-497339

(संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर (छ.ग.) से संबद्ध)

स्थापना - 2013

प्रवेश विवरणिका

2021-22

प्रकाशक

प्राचार्य,शासकीय नवीन महाविद्यालय सोनहत,जिला कोरिया(छ.ग.)

Visit us at- www.govtnaveencollegesonhat.edu.inE mail id- gncollegesonhat@gmail.com

रैगिंग

एक कानूनी अपराध है

और इसे रोकना हमारा नैतिक कर्तव्य है

प्राचार्य संदेश

शासकीय नवीन महाविद्यालय सोनहत आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता है

यह गर्व की बात है कि उच्च शिक्षा के लिए आपने इस महाविद्यालय का चयन किया है।हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपके शैक्षणिक स्तर को उच्च से उच्चतर बनाने के लिए हम सब मिलकर हर संभव प्रयास करेंगे।उच्च शिक्षा का उद्देश्य युवाओं का सर्वांगीण विकास है,विकास का अवसर प्रदान करना, संसाधन जुटाना, परिवेश निर्मित करना संस्था का दायित्व है।प्रतिभाएं शहरी क्षेत्र का विशेषाधिकार नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र भी इससे भरे पड़े हैं आवश्यकता सिर्फ अवसर प्रदान करने की है।

अध्ययन,मनन, धारण, लेखन सब आपको करना है।हम पुस्तकें,समाचार पत्र पत्रिकाएँ, प्रायोगिक सुविधाएँ,खेलकूद की सुविधाएँ एवं अध्यापन की उत्त्म व्यवस्था द्वारा आपको हर संभव मदद करेंगे ।

अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है।सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं भाषण,लेखन आदि के द्वारा अपनी प्रतिभा को उंचा बढ़ाने का सतत् प्रयास कर सकते हैं।

महाविद्यालय स्तर पर बनी हुई विभिन्न समितियॉ आपकी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगी।

प्राचार्य से आप कार्यालयीन समय में कभी भी आकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करतें हैं...

प्रो. ए.सी. गुप्ता
प्राचार्य

महाविद्यालय परिचय

माननीय छत्तीसगढ़ द्वारा कोरिया जिले के सोनहत ब्लाक में उच्च शिक्षा के अवसरों को सुगम बनाने के जनहितकारी उद्देश्य से शासकीन नवीन महाविद्यालय की स्थापना वर्ष जुलाई 2013 में की गई थी।स्थापना के प्रथम वर्ष से ही महाविद्यालय अपने उद्देश्य की दिशा में प्रगति के साथ अग्रसर है।महाविद्यालय में कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों संकाय की स्नातक कक्षाएं संचालित हैं।यह महाविद्यालय संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर से संबद्ध है।

वर्ष 2018 से महाविद्यालय अपने भवन में संचालित हो रहा है।है।महाविद्यालय में पर्याप्त क्लास रूम,ग्रंथालय स्वच्छ पेय जल, फर्स्ट एड सुविधा,कामन रूम,खेलकूद सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान सत्र से महाविद्यालय में एनएसएस की इकाई प्रारंभ हो रही है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए महाविद्यालय में साहित्यिक सांस्कृतिक समिति,अनुशासन समिति,शिकायत निवारण समिति,एंटी रैगिंग समिति आदि कार्यरत हैं। महाविद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक/ बीपीएल छात्रवृत्ति उपलब्ध है।

छात्र-छात्रों के अथक श्रम को सफलता में रूपांतरित करने हेतु महाविद्यालय स्टाफ निरंतर प्रयत्नशील है।

महाविद्यालय का आदर्श वाक्य है-

"विद्या ददाति विनयम"

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषय समूह एवं संकाय

कला संकाय

1. बी.ए. भाग -1 का पाठ्यक्रम -

अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा)

. पर्यावरण अध्ययन

ब. ऐच्छिक विषय - समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, हिन्दी साहित्य

अर्थशास्त्र,

उपर्युक्तएच्छिक विषय समूह में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करें।

बी.ए. पाठ्यक्रम के तीनों वर्षों के विषय एक ही होंगे, विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

2. बी.ए. भाग - दो का पाठ्यक्रम -

बी.ए. भाग-दो में वे ही विषय लेने होंगे, जो बी.ए. भाग-एक में लिये गये थें।

3. बी.ए. भाग - तीन का पाठ्यक्रम -

बी.ए. भाग-तीन में वे ही विषय लेने होंगे, जो बी.ए. भाग-दो में लिये गये हो एव महाविद्यालय के विषय समूहके अंतर्गत हों।

विज्ञान संकाय

1. बी.एस-सी. भाग - एक (बायोलॉजी समूह)

   अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा)

   पर्यावरण अध्ययन

   ब. रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान

2. बी.एस-सी. भाग - दो (बायोलाजी समूह)

   बी.एस-सी. भाग-एक में लिये गये विषय ही लेना होगा।

3. बी.एस-सी. भाग - तीन (बायोलाजी समूह)

   बी.एस-सी. भाग-दो में लिये गये विषय ही लेना होगा।

वाणिज्य संकाय

1. बी.काम. भाग-1 -

   अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा)

   पर्यावरण अध्ययन

   स. अनिवार्य समूह -

      1. वित्तीय लेखांकन एवं व्यावसायिक संचार

      2. व्यावसायिक गणित एवं व्यावसायिक नियमन रूप रेखा

      3. व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक पर्यावरण

2. बी.काम. भाग - दो -

   अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा)

   ब. अनिवार्य समूह -

      1. निगमित लेखांकन एवं कम्पनी अधिनियम

      2. लागत लेखांकन व्यावसाय प्रबंध के सिद्धांत

      3. व्यावसायिक सांख्यिकीय एवं उद्यमिता के तत्व

2. बी.काम. भाग - तीन -

   अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा)

ब. अनिवार्य समूह -

	अनिवार्य समूह -	वैकल्पिक समूह III
समूह I	1. आयकर	1. विपणन के सिद्धांत
	2. अंकेक्षण	2. अंतर्राष्ट्रीय विपणन
समूह II	3. प्रबंधकीय लेखांकन	
	4. अप्रत्यक्ष कर	

महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं में उपलब्ध सीटों की संख्या

कला संकाय -

बी.ए. - भाग - एक	-	60 सीट
बी.ए. - भाग - दो	-	60 सीट
बी.ए. - भाग - तीन	-	60 सीट

विज्ञान संकाय - (बायोलाजी)

बी.एस.सी. - भाग - एक	-	60 सीट
बी.एस.सी. - भाग - दो	-	60 सीट
बी.एस.सी. - भाग - तीन	-	60 सीट

वाणिज्य संकाय -

बी.काम. - भाग - एक	-	60 सीट
बी.काम. - भाग - दो	-	60 सीट
बी.काम. - भाग - तीन	-	60 सीट

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिये आचरण-संहिता

सामान्य नियम:

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनाचाहिए।

2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तरगतिविधियों में भी भाग लेना होगा।

3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।

4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।

5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखा प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन औरमितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।

6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित है। दोषी पाये जाने परउसे महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। असामाजिकतथा अपराधिक गतिविधियों से संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।

अध्ययन संबंधी नियम:

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।

2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा।

3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्णतः पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें, प्राप्त होगी तथा समयसे न लौटाने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।

4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग सेअभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।

5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करने पर इसकी भरपाई उस कक्षा के छात्र/छात्राओं से की जायेगी।

परीक्षा संबंधी नियम:

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलितहोना अनिवार्य है।

2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकलसर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।

3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्नगंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र:

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त करदिया जायेगा।

2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 केअनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगि्र के लिये प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांचहजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

3. यदि विद्यार्थी निर्धारित समयमें शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम निरस्त किया जायेगा।

4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय में पृथक कर दिया जायेगा।

5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अभिभावक काघोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगें

SUPREME COURT OF INDIA ORDER FOR CURBING RAGGING IN EDUCATIONAL INSTITUTION

As per Hon'ble Supreme Court of India order, If any incident of ragging comes to the notice of authority the concerned student shall be given liberty to explain and if his / her explanation is not found satisfactroy, the authority would expel him / her from the Institution.

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियम

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक कक्षा में प्रवेश के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रयुक्ति:

1.1 यह मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्र. 6 एवं7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथासमस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। 'प्रवेश' से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि:

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र जमा करना:

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु 'आनलाइन' फार्म जमा कराया जाएगा जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किए जाएंगे।आनलाइन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

अ. अपरिहार्य कारणों से यदि आफलाइन आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किए जाएंगे।

ब. प्रवेश हेतु बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किए जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किए जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किए जा सकेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना:

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितंबर तक कुलपति की अनुमति सेप्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे।(स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर)शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जाएगी। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय /बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी।

कंडिका 5.1(क) में उल्लेखितकर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों केस्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिये कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करनेका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय मेंप्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण:

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान 'ब' मे हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक 'ख' ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन:/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना:

पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालयके कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। 12वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्रओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण:

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या सीट के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिये छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय /

उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुये स्थान के अनुसार प्रवेशकी कार्यवाही करे।''

4. प्रवेश सूची:

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनितविद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों कीगुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगायी जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित कियेजाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'रद्द की मोहर लगाकर उसेरद्द करना चाहिए।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को रिस्त की सील लगा कर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाए।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापिऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। स्थानांतरण प्रमाणपत्र खो जाने की स्थिति में निकटस्थ पुसिल थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाए। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट

जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जावे।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारीकरेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग / अनुशासनहीनता / तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्रा ने प्रवेश के लिये आवेदन किया है।

4.7 राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक /स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है अत: उक्त निदेर्शों का पालन किया जाए

5. प्रवेश की पात्रता:

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा:

क. छत्तीसगढ़ के मूल / स्थायी, छ.ग. में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी / राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्द्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी, राष्ट्रीकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पंदाकन छत्तीसगढ़ में है। उनके पुत्र / पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

ख. सम्बद्ध वि.वि. से या सम्बद्ध वि.वि. द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और वि.वि. से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्णआवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

ग. आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश:

क. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य व कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेशकी पात्रता होगी।व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12वी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी परंतु यदि अभ्यर्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया है तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय बीएससी बायो/गणित संकाय में प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

ख. स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष मेंनियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

6. समकक्ष परीक्षा:

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन(सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथाअन्य राज्यों के विद्यालयों / इण्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षा में मा.शि.मं. की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध वि.वि. से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएसन आफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय(IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमतिप्राप्त नहीं है की परीक्षाएं मान्य नहीं है।

6.3 संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालयअनुदान आयोग द्वारा समय समयपर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य संबद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश:

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी./बी.एच.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय, स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशःद्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है। किन्तु सम्बद्ध वि.वि./स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेशदिया जावे। आवश्यक हो तो वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छ.ग. के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा, अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासीमहाविद्यालयोंसे स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम,द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालय सेपात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की पश्चात् ही उन्हीं विषयों / विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेशदिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय मेंप्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधितबोर्ड/ विश्वविद्यालयों से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों का स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जासकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता:

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों कोअगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश कीपात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका-7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्र/छात्रओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्णहोने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं:

9.1 किसी भी महाविद्यालय/वि.वि. शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र / छात्रओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो/या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहा हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुव्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों। चेतावनी देने के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, तो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिएप्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं के प्राचार्य प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठितकर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश की आयु सीमा:

(क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई के आधार में की जावेगी।

(ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशांसित प्रत्याशियों भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गए छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा मेंपेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान किया जाता है

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं है।

(ड.) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग एवं विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।निशक्त अभ्यर्थी /आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वालेमहाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय मेंप्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने केबाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्रओं को, विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातकपाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण:

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर, तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता:

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/ भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/ एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र / स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों कोप्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उनके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले में समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकोंको प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परंतु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिये लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण:

छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा:-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण, तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात्:-

क. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 32 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियोंके लिए आरक्षित रहेंगी।

ख. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 12 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों केलिए आरक्षित रहेंगी।

ग. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के लिए आरक्षित रहेगी।

परंतु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परंतु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जां खण्ड क, ख, तथा ग के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं तों इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जागा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क, ख, तथा ग के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय परइस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क, ख तथा ग के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगें। निशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित रहेगा।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परंतु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जाएगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए।

12.8 समय समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।

13. अधिभार:

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अभिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण

पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अभिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स:

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाईड्स/रेन्जर्स/सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी./ए-सर्टिफिकेट - 02 प्रतिशत

(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी./बी-सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स - 03 प्रतिशत

(ग) 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स - 04 प्रतिशत

(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को - 04 प्रतिशत

(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को - 05 प्रतिशत

(छ) राज्यपाल स्काउट्स - 05 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स - 10 प्रतिशत

(झ) छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट - 10 प्रतिशत

(य) डयूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट - 10 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम/एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को/चयनित करने अंतर्राष्ट्रीय

के लिए वाले विद्यार्थी को - 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा मेंउसी विषय में प्रवेश लेने पर - 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं

(1) लोक शिक्षण संचालनालयअथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में -

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को - 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंर्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में -

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को - 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में -

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को - 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को - 12 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा सांइस एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत (विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में) चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्य को - 10 प्रतिशत

13.5 छ.ग. शासन/म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में -

(क) छ.ग./म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को- 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्य को - 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को - 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन:

(क) छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड स्पोटर्स अथारिटी आफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है। बशर्ते कि -

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणितकिया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपनाअभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परंतु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिएउन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन:

स्नातक प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुरप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. विशेष:

15.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

15.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

15.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों को लिप्त विद्यार्थीका प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

15.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवाउसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिसनहीं किया जायेगा।

15.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकताहोने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषितन किया जाये।

15.6 इन मार्गदर्शन सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है।इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समयसमयपर परिवर्तन/संशोधन/निरसर/संलग्न का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा

छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

टीप: शासन द्वारा वर्ष हेतु इन नियमों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर वह लागू होगा।

प्रवेश संबंधी अन्य नियम एवं सुविधाएं

प्रवेश तिथि:

छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्रा को प्रवेश समिति के साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश समिति द्वारा छात्रों की योग्यता प्रवीणता तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन कर तथा प्राचार्य की स्वीकृति मिल जाने पर छात्र-छात्रा को प्रवेश मिल सकेगा।

प्रवेश पात्रता:

विश्वविद्यालय अधिनियम 8 के अनुसार महाविद्यालय में निम्नलिखित योग्यता वाले छात्र-छात्रा प्रवेश पा सकेंगे -

1. बी.ए., बी.कॉम एवं बी.एस.सी. भाग-1

माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर (छ.ग.) या किसी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

2. बी.ए., बी.काम एवं बी.एस.सी. भाग-2

क. बी.ए., बी.काम. एवं बी.एस.सी. भाग-1 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या

ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

3. बी.ए., बी.काम एवं बी.एस.सी. भाग-3

क. बी.ए., बी.काम. एवं बी.एस.सी. भाग-2 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या

ख. समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

प्रवेश नियम

1. महाविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर देना होगा। आवेदन पत्र छात्र एवं पालक के हस्ताक्षर से जमा करना अनिवार्य है।

2. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(1) स्थानांतरण प्रमाण पत्र (मूल प्रति)

(2) अंक सूची (अंतिम परीक्षा दो प्रतियों में) राज्यपत्रित अधिकारी स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि/फोटो स्टेट कापी।

(3) चरित्र प्रमाण पत्र

नियमित छात्रों को पूर्व में प्राचार्य के द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वाध्यायी

छात्रों के लिए किन्हीं दो उत्तरदायी नागरिकों से चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति ही संलग्न करें।

(4) प्रवजन प्रमाण पत्र की मूल प्रति गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर परिसीमा के बाहर से आये छात्रों के लिए।

(5) अंतिम परीक्षा के प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) पासपोर्ट आकार के दो चित्र।

(7) जाति प्रमाण पत्र केवल अनु.जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए किसी राजस्व अधिकारी या तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।

(8) जन्मतिथि प्रमाण पत्र इसके लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि मान्य होगी।

नोट: 1. अनुत्तीर्ण, पूरक तथा विश्वविद्यालय परीक्षा में नकल करते पकड़े गये छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

2. अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्राप्त प्रवेश सूचना प्राप्त होते ही निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसका दायित्व छात्र का होगा, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी।

3. उपर्युक्त प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश रद्द हो जायेगा।

4. छात्र का आचरण अर्हता आदि से संबंधित आपत्ति होने पर प्राचार्य ऐसे प्रत्याशियों को महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अपात्र घोषित कर सकते हैं।

5. महाविद्यालय के शुल्क एवं आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्र का प्रवेश स्थाई समझा जायेगा।

महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये प्रवेश से वंचित कर दे या प्रवेश ही रद्द कर दे।

6. जिस छात्र का प्रवेश स्वीकार हो जायेगा उसे एक प्रवेश पत्र/परिचय पत्र कार्यालय से दिया जायेगा। इन दोनों को वर्ष भर सुरक्षित रखना चाहिए।

7. आवेदन पत्र में छात्र का नाम सही होना चाहिए जो उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र या अंकसूची में अंकित हो। नाम परिवर्तन के इच्छुक छात्र/छात्रा को पांच रूपये के नान ज्युडिशियल स्टाम्प में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की अदालत में शपथ पत्र देकर नत्थी करना होगा।

8. छात्र द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाये स्थायी एवं वर्तमान पते में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तोउसकी सूचना प्राचार्य को तत्काल देना अनिवार्य है।

9. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रवेश नियमों का पालन किया जायेगा।

परिचय पत्र :

1. परिचय पत्र महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए अनिवार्य है। महाविद्यालय में प्रवेश करते समय चेक पोस्ट में प्रत्येक छात्र/छात्रा को परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य है।

2. महाविद्यालय में प्रवेश लेते समय आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर कार्यालय में देना आवश्यक होगा, ताकि प्रवेश पत्र के साथ परिचय पत्र भी छात्र/छात्रा को प्राप्त हो सके।

3. परिचय पत्र को सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखना छात्र-छात्राओं का कर्तव्य है।

4. महाविद्यालय में प्रवेश करते समय, प्रत्येक समारोह एवं उत्सव में सम्मिलित होते समय छात्राओं को परिचय पत्र साथ रखना होगा।

5. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा परचिय पत्र की मांग करने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. परिचय पत्र का हस्तातंरण योग्य नहीं है। छात्र को यह निर्देश बाध्यकारी होगा, अन्यथा छात्र दण्ड का अधिकारी होगा।

7. परिचय पत्र खो जाने पर 10/- रूपये शुल्क तथा दो प्रतियां पासपोर्ट साईज फोटो जमा करने पर पुनः प्राप्त किया जा सकेगा, परंतु नया परिचय पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

ग्रंथालय विभाग:

महाविद्यालय में एक समृद्ध ग्रंथालय है। वर्तमान में स्नातक की लगभग 7000 पुस्तकें हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र छात्राओं के लिये निःशुल्क पुस्तकें, प्रदान करने की बुक-बैंक योजना कार्यान्वित की जाती है।जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को संत्रांत तक छात्रों के बीच एक सेट पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

जिन्हें परीक्षा उपरांत वापस लिया जाता है। सामान्य छात्र/छात्राओं को नियमानुसार ग्रंथालय से पुस्तकें प्रदान की जाती हैं।

1. महाविद्यालय में निर्धारित सुरक्षा निथि/छात्राओं को नियमानुसार ग्रंथालय का सदस्य बन जाती हैं।

2. पुस्तकालय में पुस्तकों का निर्गमन तथा वापस लेना ग्रंथालय के नियंत्रण में रहता है। जिसके लिये उनके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। नियमोल्लंघन करने पर छात्र दण्डित होंगे।

3. ग्रंथालय में वाचनालय भी है जहां विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के पठन की सुविधा है।

4. ग्रंथालय में महाविद्यालय के समस्त छात्र-छात्राओं को 15 दिनों के लिये दो पुस्तक निर्गमित कीजावेगी।

5. ग्रंथालय से ली गई पुस्तक यदि 15 दिनों के बाद न लौटाई गई तो प्रति पुस्तक प्रतिदिन 1.00 के हिसाब से अर्थदण्ड देय होगा। जिसका भुगतान शिक्षण शुल्क की किश्त के साथ अनिवार्य रूप सेकरना होगा।

क्रीड़ा विभाग:

महाविद्यालय के स्थापना वर्ष से ही महाविद्यालय के छात्र/छात्राये विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे हैं।

महाविद्यालय छात्रों को क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करता रहता है।

छात्र संघ:

महाविद्यालयीन युवा छात्रों के नेतृत्व क्षमता एवं जिम्मेदी विकसित करने तथा रचनात्मक क्रियाकलापों से जोड़ने के लिए छात्र संघ का गठन शासन के नियमानुसार किया जाता है।

छात्र संघ के प्रभारी शैलेष मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

शुल्क विनियम:

1. एक बार कोई शुल्क पट जाने के बाद वह किसी भी प्रकार वापस नहीं हो सकेगा।

2. एक बार किसी छात्र का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पूरे सत्र का सभी शुल्क पटाना पड़ेगा, चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश ले एवं महाविद्यालय छोड़ दे।

3. संस्था छोड़ने के दो वर्ष बाद किसी प्रकार की राशि वापस नहीं की जावेगी।

4. छात्रों को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रसीद का ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरूप सुरक्षित रखें। जो भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य धनराशि इस महाविद्यालय में किसी भी छात्र या व्यक्ति के द्वारा जमा की जाये, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए। अन्यथा उसक उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का ही होगा।

5. परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व विश्वविद्यालयीन शुल्क भी जमा करना होगा।

संस्था छोड़ने हेतु नियम:

यदि कोई छात्र मध्य सत्र में संस्था त्यागने और दूसरी संस्था में प्रवेश लेने की इच्छा करता है तो उसे विश्वविद्यालय अधिनियमानुसार निम्न कार्यवाही पूरी करनी होगी।

(अ) संस्था त्यागने के उद्देश्य की लिखित सूचना करनी होगी।

(ब) समस्त शुल्कों को जमा करना होगा।

(स) उक्त सम्पूर्ण सत्र का पूर्ण शुल्क उसे महाविद्यालय को देना पड़ेगा।

(द) महाविद्यालय से प्राप्त अन्य सहायता, निःशुल्क शिक्षा या छात्रवृत्ति आदि की राशि लौटानी होगी।

(च) निःशेष प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(छ) स्थानांतरण प्रमाण-पत्र या आचरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति चाहने वाले छात्रों को 10/- रूपये जमाकरना होगा।

(ज) समावधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने पर टी.सी. लेते समय ही होगी बशर्ते अपनी रसीदप्रस्तुत करें। समावधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने के छः माह बाद नहीं की जायेगी।

विश्वविद्यालय नामांकन: (नवीन छात्र/छात्रा हेतु अनिवार्य)

1. विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु समय पर आवश्यक आवेदन पत्र भर कर नामांकन करा लेने का उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का होगा। प्रवेश के बाद नामांकन फार्म महाविद्यालय में निर्धारित अवधि में भरना होगा।

2. स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्र/छात्राओं को नामांकन कार्य विभागाध्यक्ष के अनुशंसा पर दिया जायेगा जिससेनिर्धारित समय-सीमा एवं शुल्क के साथ जमा किया जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यादेश 2009 की कंडिका 3 के अनुसार

रैगिंग के अंतर्गत आने वाले कृत्य निम्नलिखित हैं:-

1. किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा किया गया ऐसा कृत्य जिसमें बोले गये शब्द या किया गया काम जिसकेद्वारा चिढ़ाना या रूखाई से पेश आना प्रतीत होता है।

2. विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा किया गया असत्य या अनुशासनहीन कृत्य जिसमें नये विद्यार्थी को क्रोध आए, किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक पीड़ा या डर उत्पन्न हो।

3. ऐसा कोई कार्य जो कि शर्मनाक हो जिससे नये विद्यार्थी को शर्मीन्दगी, मानसिक पीड़ा या मनोवैज्ञानिकउत्पीड़न हो।

4. वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया ऐसा कोई भी कार्य जो नये विद्यार्थी की अकादमिक गतिविधि में अवरोध उत्पन्नकरें।

5. किसी नवीन प्रवेशित छात्र या अन्य कोई छात्र का शोषण करके अपने या अपने समूह के लिये अकादमिककार्य कराना।

6. किसी भी नये विद्यार्थी या अन्य किसी छात्र से ऊपर जबरदस्ती वित्तीय बोझ डालना।

7. शारीरिक पीड़ा देने का कोई भी कृत्य जैसे अश्लील गतिविधियां, इशारेबाजी या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचानेवाले कार्य।

8. शब्दों द्वारा पीड़ा पहुंचाना, ई-मेल करना, डाक द्वारा, सार्वजनिक अपमान करना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाकरमानसिक संतोष प्राप्त करना इन सब कृत्यों में लिप्त होना या साथ देना।

9. ऐसा कोई भी काम जो नये विद्यार्थी के मानसिक, स्वास्थ्य या उसके आत्मविश्वास को प्रभावित करें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यादेश 2009 की कंडिका 9 के अनुसार

रैगिंग के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही:-

संस्था रैगिंग करने वाले विद्यार्थी को अपराधी पाये जाने पर निम्न प्रकार से सजा दे सकती है:-

- एंटी रैगिंग कमेटी सभी रैगिंग की घटनाओं के तथ्यों तथा उनकी गंभीरता को देखते हुए रैगिंग स्क्वाड द्वारा कीगई अनुशंसा के आधार पर उचित निर्णय लेगी।

- एंटी रैगिंग स्क्वाड द्वारा सिद्ध किए गए अपनाध का प्रकार एवं गंभीरता देखते हुए एंटी रैगिंग कमेटी निम्नलिखितमें से एक या एक से अधिक सजा दे सकती है -

1. अकादमिक सुविधाओं एवं कक्षाओं से निलंबन।

2. छात्रवृत्ति, फेलाशिप और दूसरे लाभों से वंचित करना।

3. किसी भी परीक्षा आंतरिक एवं अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल होने से रोकना।

4. परिणाम रोकना।

5. किसी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंर्तराष्ट्रीय उत्सव प्रतियोगिता या युवा उत्सव में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से रोकना।

6. हास्टल से निलंबन या निष्कासन।

7. प्रवेश निरस्त करना।

शुल्क विवरण

वर्तमान सत्र का शुल्क विवरण पृथक से संलग्न है

टीप:

1. परीक्षा शुल्क नवम्बर माह में घोषित की जायेगी। (विकलांग छात्रों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान की जाती है।)

2. अन्य बोर्डों वि.वि. से आने वाले विद्यार्थियों को आप्रवासन शुल्क अलग से देना होगा एवं मूलमाइग्रेशन फार्म जमा करना होगा।

3. शासन के आदेशानुसार प्रवेश शुल्क में परिवर्तन हो सकता है।

नोट:

1. दूसरे विश्वविद्यालय आये छात्र/छात्राओं को आप्रवासन शुल्क एवं नामांकन शुल्क अतिरिक्त लिया जायेगा।

2. माह नवम्बर में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा फीस प्रत्येक छात्र को जमा करनी होगी।

3. शासन के आदेशानुसार प्रवेश शुल्क में परिवर्तन हो सकता है।

4. छात्र जब कभी सुरक्षा निधि की वापसी के लिये प्रार्थना पत्र दें, तब प्रार्थना पत्र के साथ रसीद संलग्न करनी होगी तथा सभी विभागों से कोई धन बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र देना होगा। यदि छात्र द्वारा किसी कारणवश इस महाविद्यालय में नियमित अध्ययन करना

छोड़े हुये 05 वर्ष से ऊपर हो गया है, एवं उसने अपने सुरक्षा धन बकाया को वापस नहीं लिया तो वह वापस नहीं किया जायेगा।

5. महाविद्यालय छोड़ने के लिये प्रार्थना पत्र देते समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं सुरक्षा धन की वापसी के लिये महाविद्यालय में अपना परिचय पत्र जमा कर देना होगा। सुरक्षा धन की वापसी परिचय पत्र जमा किये बिना नहीं की जावेगी।

6. शुल्क भुगतान की रसीद प्रत्येक विद्यार्थी अपने पास अवश्य ही सुरक्षित रखें, जिसे किसी समय आवश्यकता पड़ने पर शुल्क भुगतान चुकाने के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करना होगा।

7. परीक्षा के समय विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने व प्रवेश पत्र प्राप्त करने हेतु बकाया कुछ नहीं (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) का प्रमाण पत्र दे दिया जाने के पश्चात् भी, यदि किसी समय कार्यालय के रजिस्टरों का रिकार्ड निरीक्षण करते हुए यह पाया गया कि किसी विद्याथभर् के कार्यालय की भूल या असावधानी व अन्य किसीकारणवश कोई शुल्क या सामान वसूल करना बाकी रह गया है तो विद्यार्थी को वह शुल्क या सामान देनाहोगा।

8. प्रवेश की अथवा महाविद्यालय छोड़ने की तिथि चाहे जो रही हो, प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् विद्यार्थी पूरे सत्रके लिय महाविद्यालय के शुल्कों को जमा करने का भागी होगा।

9. छात्रों को शुल्क संबंधी स्वीकृत हुई छूट अथवा छात्रवृत्ति अनुशासनहीनता की स्थिति में बंद कर दी जावेगी।

10. काशनमनी की वापसी के लिए प्रतिमाह की 15 एवं 16 तारीख निश्चित की गई है।

छत्तीसगढ़ शासन की छात्रवृत्तियां

छात्रवृत्तियों की विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें

1. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को आदिम जाति कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति दी जाती है।

1. संपूर्ण छात्रवृत्तियों के लिए छात्र महाविद्यालयीन सूचनाओं की ओर ध्यान दें तथा कार्यालय से संपर्क बनाये रखें।आवेदन पत्र के प्रारूप कार्यालय से प्राप्त होंगें।

2. छात्रवृत्तियों के निर्धारित प्रपत्रों में आवश्यक प्रविष्टियां पूर्ण कर अपने आवेदन-पत्र निश्चित तिथि तक कार्यालय में जमा करें निश्चित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करना संभव नहीं हो सकेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राचार्य, प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक की जानकारी

01..07.2021 की स्थिति में

प्रभारी प्राचार्य- डॉ. ए.सी. गुप्ता

क्र.	पद	विषय	नाम
1.	प्राचार्य	-	रिक्त
2.	सहा. प्राध्यापक	समाजशास्त्र	श्री राम सहाय खांडे
3.	सहा. प्राध्यापक	राजनीतिशास्त्र	श्री शैलेष मिश्रा
4.	सहा. प्राध्यापक	अर्थशास्त्र	-
5.	सहा. प्राध्यापक	हिंदी साहित्य	-
6.	सहा. प्राध्यापक	अंग्रेजी	-
7.	सहा. प्राध्यापक	वनस्पति विज्ञान	-
8.	सहा. प्राध्यापक	प्राणी विज्ञान	-
9.	सहा. प्राध्यापक	रसायन विज्ञान	-
10.	सहा. प्राध्यापक	वाणिज्य	-

टीप: हिन्दी, अंग्रेजी, रसायन, जन्तु विज्ञान,हिंदी साहित्य,अर्थशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वाणिज्य संकाय के रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याता/जनभागीदारी मद से नियुक्ति कर अध्यापन कार्य कराये जाते हैं।

महाविद्यालय में पदस्थ कार्यालय स्टाफ की जानकारी

01..07.2021 की स्थिति में

क्र.	नाम	पदनाम
1.	श्री ब्रिजेश कुमार सिंह	सहायक ग्रेड - 02
2.	श्री राम खिलावन गुप्ता	प्रयोगशाला तकनीशियन
3.	श्री मृत्युंजय मिश्रा	सहयोगी स्टाफ
4.	श्री संतुलाल टिर्की	सहयोगी स्टाफ